UPGK010050662026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-2208/2026,

निर्मोही निषाद उम्र-34 वर्ष पुत्र स्व0 नरेश निषाद

निवासी-ग्राम रामपुर नया गांव, थाना गोरखनाथ, जिला गोरखपुर।

आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 98/2026,

धारा- 309 (4),132, 317 (2) भारतीय न्याय संहिता,

थाना- गोरखनाथ, जनपद- गोरखपुर।

03.06.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त निर्मोही निषाद, जो अपराध संख्या- 98/2026, धारा- 309 (4), 132, 317 (2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- गोरखनाथ, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रथम सूचनाकर्ता ज्ञानी जयसवाल औरव गुप्ता के होटल कौड़ियहवा मोड पर काम करता है दिनांक 08.02.2026 को होटल से काम करके निकल रहा था तो दुकान के सामने ही निर्मोही पुत्र स्व0 नरेश जो आपराधिक प्रकृति का है। मेरे पास आया और मेरी मोटरसाईकिल धकेल दिया। मेरे जेब से 3200/- छीन लिया तथा जब मैं शोर करने लगा तो इसी बीच पुलिस के लोग आ गये तो वह पुलिस वालों पर पत्थर चलाने लगा उसके घर के महिलाएं भी आकर पुलिसवालों से गाली गलौच करने लगी और वह मौका पाकर भाग गया तथा निर्मोही की बहन सुराती देवी व उसके घर की अन्य महिलाए गाली गलौज करते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए चली गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है प्रार्थी पर लगाया गया आरोप असत्य एवं निराधार है। प्रार्थी का घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है बल्कि वादी मुकदमा के प्रभाव में आकर थाने के पुलिस ने झूठा व फर्जी मनगढ़न्त कहानी बनाकर फर्जी तौर पर उक्त मुकदमा में फंसा दिया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी घटना वाले दिनांक को समय करीब 11.00 बजे रात्रि में अपने दीदी सुराती देवी

पत्नी मुन्नालाल निवासी- नथमलपुर कौड़ियहवा, गोरखपुर के घर के सामने औरव गुप्ता के होटल में खाना खाने गया था कि होटल मालिक से अच्छा खाना खिलाने के लिए कहा कि खाना खिलाने की बात को लेकर विवाद होने लगा तब होटल मालिक ने प्रार्थी को जबरजस्ती धक्का देकर होटल के बाहर ढकेल दिया, प्रार्थी गिर गया जिससे मेरे नांक पर गम्भीर चोट लग गयी, नांक से खून गिरने लगा, प्रार्थी के द्वारा होटल मालिक से चोट की दवा ईलाज कराने की बात कहा तो वह विवाद करने लगा तथा फोन करके पुलिस वालों को बुला लिया पुलिस आयी और होटल मालिक के प्रभाव में आकर पुलिस प्रार्थी को उल्टा मारने पीटने लगी। विरोध किया तो प्रार्थी को पकड़कर थाने पर लाया गया और प्रार्थी के परिवार वालों के पूंछ तांछ करने पर कहा गया थाने पर सुबह आना छोड़ दिया जायेगा। प्रार्थी की भांजिया खुशी व सपना थाने पर आयी तो पुलिस उन लोगों को भी बैठा लिया और उल्टे धारा-151 सी० आर० पी० सी० में फर्जी चालान कर दिया तथा प्रार्थी को उक्त मुकदमा में फर्जी फंसा कर चालान कर दिया गया है। प्रार्थी के द्वारा वादी मुकदमा के जेब से न तो कोई रूपये छीना व लूटपाट ही कारित किया गया है और न ही प्रार्थी के द्वारा पुलिस के ऊपर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। प्रार्थी के पास से कोई लूट के रूपये की बरामदगी नहीं हुआ है। प्रार्थी का विगत कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता का मोटरसाईकिल धकेलकर उसकी जेब से 3200/- छीन लिया तथा जब उसके शोर करने पर जब वहां पर पुलिस के लोग आ गये तो वह पुलिस वालों पर पत्थर चलाने लगा आवेदक/अभियुक्त के पास से 3200/- रूपये बरामद हुआ है। अतएव मामले की गम्भीरता एवम् आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचनाकर्ता का मोटरसाईकिल धकेलकर उसकी जेब से 3200/- छीन लेने तथा जब प्रथम सूचनाकर्ता के शोर पर पुलिस के लोग आये तो उनपर पत्थर चलाने का आक्षेप है। कथित आरोप से आवेदक द्वारा इंकार किया गया। बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को किसी अपराध में पूर्व में नामित अथवा दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। मामले के

विचारण की अवधि में आवेदक/अभियुक्त को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की कोई आशंका अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त नहीं की गयी है। आवेदक/ अभियुक्त को दिनांक 09.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है।

अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

आवेदक/अभियुक्त निर्मोही निषाद का उपरोक्त जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त को प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन 25,000/-रूपये का स्वबन्धपत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवम् निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाय-

1- आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,

2- आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा,

3- आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या बचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,

4- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगा,

5- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई-मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 03.06.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.03 16:14:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court